भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1189
दिनांक 10 दिसंबर, 2025 / 19 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

उपयोगिता प्रमाण-पत्र और आपदा राहत निधि जारी करना

1189. श्री हर्ष महाजन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार से प्राप्त आपदा राहत निधि (एसडीआरएफ/एनडीआरएफ) के लिए समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) प्रस्तुत कर रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान एनडीआरएफ तथा अन्य केन्द्रीय आपदा प्रबंधन तंत्रों के अंतर्गत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष-वार कितनी धनराशि जारी की गई;

(घ) इन निधियों के लिए प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का वर्ष-वार और राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या मंत्रालय ने विलंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने हेतु कोई विशेष तंत्र या अनुपालन उपाय अपनाए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के अनुसार,आपदा प्रबंधन की प्राथमिक ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। संपूर्ण प्रक्रिया के लिए एनडीआरएफ/ एसडीआरएफ दिशानिर्देशों में परिकल्पित स्थापित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है, जो मंत्रालय की वेबसाइट www.ndmindia.mha.gov.in पर उपलब्ध है। एसडीआरएफ का केंद्रीय हिस्सा दो समान किस्तों

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1189, दिनांक 10/12/2025

में जारी किया जाता है,पहली जून में और दूसरी दिसंबर में, बशर्ते दिशानिर्देशों की शर्तें पूरी हों, जिनमें पहले जारी की गई धनराशि जमा करने और व्यय विवरण से संबंधित जानकारी शामिल है। एसडीआरएफ/ एनडीआरएफ के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश के लिए धनराशि का आवंटन नहीं है।

एसडीआरएफ/ एनडीआरएफ की योजना के अनुसार,राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि एसडीआरएफ (एनडीआरएफ से केंद्रीय सहायता सहित) से प्राप्त धनराशि का उपयोग वास्तव में उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जाए जिनके लिए इसे जारी किया गया था,तथा इसका उपयोग केवल निर्दिष्ट व्यय मदों पर और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार किया जाए।राज्य महालेखाकार को सहायता की मदों और मानदंडों के अनुसार व्यय की निगरानी करनी होती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक,एसडीआरएफ योजना के अनुसार,हर साल एसडीआरएफ का लेखा-परीक्षण करते हैं।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान राज्यों को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से धनराशि के आवंटन और रिलीज का राज्यवार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

*****

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1189, दिनांक 10/12/2025

<u>अनुलग्नक</u>

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत निधियों के आवंटन और धनराशि जारी होने के राज्य-वार ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु .में)

क्र.सं.	राज् य	केंद्र और राज्य के अंश सहित एसडीआरएफ के तहत आवंटन					एसडीआरएफ का केंद्रीय अंश जारी करना					एनडीआरएफ से धनराशि जारी करना				
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1.	आंध्र प्रदेश	1192.80	1192.80	1252.80	1315.20	1380.80	895.20	895.20	940.00	987.20	1036.00	657.029	351.43	--	--	56.895
2.	अरुणाचल प्रदेश	222.40	222.40	233.60	245.60	256.80	200.00	200.00	210.40	220.80	115.60	59.34	--	--	--	--
3.	असम	686.40	686.40	720.80	756.80	795.20	617.60	617.60	648.80	680.80	716.00	44.37	--	250.00	--	29.017
4.	बिहार	1510.40	1510.40	1586.40	1664.80	1748.00	1132.80	1132.80	1189.60	1248.80	1311.20	1255.27	1038.96	--	--	--
5.	छत्तीसगढ़	460.80	460.80	484.00	508.00	533.60	345.60	345.60	181.60	181.60	380.80	--	--	--	--	33.243
6.	गोवा	12.00	12.00	12.80	12.80	13.60	9.60	9.60	9.60	9.60	10.40	--	--	--	--	31.50
7.	गुजरात	1412.00	1412.00	1482.40	1556.80	1635.20	1059.20	1059.20	556.00	1140.00	600.00	--	1000.00	--	--	--
8.	हरियाणा	524.00	524.00	550.40	577.60	606.40	392.80	392.80	412.80	433.60	455.20	--	--	--	--	--
9.	हिमाचल प्रदेश	363.20	363.20	380.80	400.80	420.00	327.20	327.20	342.40	360.80	378.40	2.90	--	214.26	787.25	84.564
10.	झारखंड	605.60	605.60	635.20	667.20	701.60	454.40	454.40	--	476.80	1027.20	--	200.00	--	--	--
11.	कर्नाटक	843.20	843.20	885.60	929.60	976.00	632.80	632.80	664.00	697.60	732.00	689.27	1623.30	--	--	3528.447
12.	केरल	335.20	335.20	352.00	369.60	388.00	251.20	251.20	264.00	277.60	291.20	--	--	939.83	--	--
13.	मध्य प्रदेश	1941.60	1941.60	2038.40	2140.80	2248.00	1456.00	1456.00	1528.80	1605.60	1686.40	1891.79	600.50	--	--	--
14.	महाराष्ट्र	3436.80	3436.80	3608.80	3788.80	3978.40	2577.60	2577.60	2706.40	2841.60	2984.00	420.12	1056.39	--	--	--
15.	मणिपुर	37.60	37.60	39.20	41.60	44.00	33.60	33.60	35.20	18.80	50.00	26.53	--	--	--	12.15
16.	मेघालय	58.40	58.40	60.80	64.80	67.20	52.80	52.80	27.20	27.20	59.60	16.52	--	--	--	11.982
17.	मिजोरम	41.60	41.60	43.20	46.40	48.00	37.60	37.60	39.20	41.60	43.20	--	--	--	--	18.36
18.	नागालैंड	36.80	36.80	38.40	40.80	42.40	32.80	32.80	34.40	36.80	38.40	1.335	--	107.304	--	10.815
19.	ओडिशा	1711.20	1711.20	1796.80	1886.40	1980.80	1283.20	1283.20	1348.00	1415.20	1485.60	500.00	500.00	--	--	45.086
20.	पंजाब	528.00	528.00	554.40	582.40	611.20	474.43	396.00	416.00	436.80	458.40	--	--	--	--	29.601
21.	राजस्थान	1580.00	1580.00	1659.20	1742.40	1828.80	1184.80	1184.80	1244.80	1307.20	1372.00	68.65	--	13.46	--	--
22.	सिक्किम	44.80	44.80	47.20	49.60	52.00	40.00	40.00	42.40	44.80	47.20	73.86	55.23	--	81.89	229.831
23.	तमिलनाडु	1088.00	1088.00	1142.40	1200.00	1260.00	816.00	816.00	856.80	900.00	944.80	286.91	566.36	--	--	360.086
24.	तेलंगाना	479.20	479.20	503.20	528.00	555.20	359.20	359.20	188.80	584.80	416.80	--	--	--	--	42.783
25.	त्रिपुरा	60.80	60.80	63.20	67.20	70.40	54.40	54.40	56.80	60.80	71.60	12.93	--	--	--	186.40
26.	उत्तर प्रदेश	2062.40	2062.40	2165.60	2273.60	2388.00	1546.40	1546.40	812.00	1664.80	1748.40	--	--	--	--	172.95
27.	उत्तराखंड	832.80	832.80	874.40	918.40	964.00	749.60	749.60	787.20	826.40	868.00	--	--	--	--	21.30
28.	पश्चिम बंगाल	1078.40	1078.40	1132.80	1189.60	1248.00	808.80	808.80	849.60	892.00	936.00	2250.28	350.13	--	--	84.771
कुल		**23186.40**	**23186.40**	**24344.80**	**25,565.60**	**26841.60**	**17825.63**	**17747.20**	**16392.80**	**19419.60**	**20264.40**	**8257.11**	**7342.30**	**1524.85**	**869.14**	**5160.76**

*****